न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर टोंक

प्रकरण संख्या 23/2020

अब्दुल मजीद खॉ निवासी मोतीबाग, पायगा टोंक जिला– टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 17–8–2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव ~~कोषाधिकारी टोंक~~ जिला–टोंक को दिनांक 30–06–2020 को आवेदन प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थीः–

श्रीमति सआदत जमानी बेगम पत्नि श्री नवाब सआदत अली खॉ खानदान पेंशन 500/रूपये मात्र प्रतिमाह दी जाती थी।

अतः सूचना के अधिकार के तहत मुझे श्रीमति सआदत जमानी बेगम के प्रतिमाह की पेंशन भुगतान के बिल टी वाई 59 सत्र 1956 से 1996 तक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। श्रीमति सआदत जमानी बेगम का पी0पी0ओ0 721(आर) है। प्रमाणित छाया प्रति की राशि नियमानुसार जो भी बनती है मै भुगतान कर दूॅगा। श्रीमति सआदत जमानी बेगम मेरी खास बुआ थी। इसलिए सम्पूर्ण पत्रावली की छाया प्रति दिलवाने का कष्ट करें।

अपीलार्थी द्वारा निर्धरित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी स्वंय उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक जिला–टोंक से अपीलार्थी को सूचना नहीं देने के सम्बन्ध में पत्र कमांक 538 दिनांक 5–8–2020 से जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक द्वारा पत्र कमांक 609 दिनांक 7–8–2020 से अवगत कराया कि आवेदक को कार्यालय हाजा के पत्र 593 दिनांक 21–7–2020 से सूचित कर दिया गया था कि आप द्वारा चाही जा रही सूचना (Third Party

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:51:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

Information) के अन्तर्गत आती है जिसके कारण आपको सूचना नहीं दी जा सकती। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:51:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner